मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)
CIN: U40109MP2001SGC014880
ब्लाक नंबर - 1, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर (म.प्र) 482008,
दूरभाष:(0761) 270-2934,फैक्स नं.: (0761) 2665550, ई-मेल: cfo@mptransco.nic.in

क्रमांक मु.वि.अ./ई आर पी /96 जबलपुर, दिनांक: 21/01/2019

ई आर पी परिपत्र 2

इस कार्यालय से जारी ई आर पी परिपत्र 1 (क्रमांक मु. वि. अ./ई आर पी /1552 दिनांक 17/12/2018) एवं आंशिक संशोधन (I) (क्रमांक मु. वि. अ./ई आर पी /1614, दिनांक 31/12/2018) तथा आंशिक संशोधन (II) (क्रमांक मु. वि. अ./ई आर पी /46, दिनांक 10/01/2019) के अनुसार ई आर पी का क्रियान्वयन दिनांक 21/01/2019 से प्रारम्भ होना सुनिश्चित किया गया था । इस तिथि को और आगे नहीं बढाने का निर्णय लिया गया है ।

उपरोक्त निर्णय के आधार पर निम्न कार्यवाही सभी सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जाना वांछित है -

(i) सभी transactions ई आर पी के माध्यम से और साथ ही विधमान legacy system में भी parallel रूप से करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि फील्ड एव क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में सभी transactions पहले ई आर पी एवं तत्पश्चात विधमान legacy system पर प्रविष्ट करे जाए ।

(ii) दिनांक 19/01/2019 तक जो देयक क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत नहीं किये गए है, अथवा क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों ने फील्ड कार्यालयों को वापस कर दिए है, वे सभी प्रकार के देयक फील्ड कार्यालयों द्वारा ई आर पी में प्रविष्ट करने के पश्चात यूनिक नंबर प्रविष्ट कर के पुनः प्रस्तुत किये जायेगे ।

(iii) इसके अलावा जो देयक दिनांक 19/01/2019 को प्राप्त हुए है या भविष्य में फील्ड कार्यालयों में प्राप्त होंगे वे भी फील्ड कार्यालयों द्वारा ई आर पी में प्रविष्ट करने के पश्चात यूनिक नंबर प्रविष्ट कर के ही क्षेत्रीय लेखा कार्यालय में प्रस्तुत किये जाएंगे ।

(iv) क्षेत्रीय लेखा कार्यालय उपरोक्त (ii) एवं (iii) में वर्णित देयकों को पास करने एवं भुगतान करने के लिए विधमान legacy system तथा ई आर पी की प्रक्रिया को अपनाएंगे और इनकी भुगतान की प्रविष्टि दोनों system पर अनिवार्य रूप से करेंगे ।

(v) उपरोक्त में से जिन देयकों का भुगतान मुख्यालय के माध्यम से किया जाना है, उनको क्षेत्रीय लेखा कार्यालय ई आर पी में प्रविष्ट करने के पश्चात साथ साथ विधमान प्रणाली अपनाते हुए यूनिक नंबर के साथ मुख्यालय को अग्रेषित करेंगे ।

(vi) दिनांक 21/01/2019 से सभी देयकों की processing एवं भुगतान ई आर पी के माध्यम से ही किया जाएगा एवं दिनांक 21/01/2019 एवं उसके पश्चात क्षेत्रीय लेखा कार्यालय,फील्ड कार्यालयों से सभी तरह के देयक legacy system में तभी स्वीकार करेंगे जब फील्ड कार्यालय कवर नोट तथा सभी डेबिट स्लिप/ जनरल वाउचर में ई आर पी में एंट्री करने के पश्चात ई आर पी से प्राप्त यूनिक नम्बर अंकित करेंगे ।

(vii) इस परिपत्र में जहाँ पर भी देयकों का उल्लेख किया गया है वहा देयकों में RTA / Temporary Advance/ Establishment Bill इत्यादि को भी सम्मिलित माना जाएगा ।

सभी क्षेत्रीय लेखा कार्यालय दिनांक 19/01/2019 तक फील्ड कार्यालयों से प्रेषित देयकों को , जो कि उन्हें दिनांक 21/01/2019 अथवा उसके पश्चात प्राप्त होंगे , पत्र द्वारा सम्बंधित फील्ड कार्यालयों को इन देयकों को ई आर पी में प्रविष्ट कर के पुनः अग्रेषित करने का आग्रह करेंगे । इस आग्रह की एक प्रतिलिपि मुख्यालय में संयुक्त निदेशक (देयक एवं कर) को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे । ई आर पी में प्रविष्टि होने के पश्चात इन देयकों की देय तिथि की गणना 21/01/2019 को क्षेत्रीय लेखा कार्यालय में प्राप्ति की तिथि मान कर के करी जायेगी ।

सभी विभागप्रमुखों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश देने का कष्ट करे कि वे दिनांक 21/01/2019 तक प्राप्त हो गए अथवा कार्यवाही हेतु लंबित देयकों, चाहे वे विधमान प्रणाली में लंबित हो अथवा ई आर पी में लंबित हो, को, प्राथमिकता देते हुए, प्रक्रिया को संपन्न कराना सुनिश्चित करे ।

मुख्य वित्तीय अधिकारी
म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर

प्रतिलिपि :-

(i) कार्यपालक निदेशक (सी आर ए) / (एच आर डी) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर
(ii) मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) / (टी एंड सी) / (पी एंड डी) / (ई एच टी - कंस्ट्रक्शन) / (ई एच टी - मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन) /(एस एल डी सी) / (एच आर एंड ए) / (ट्रांसमिशन-ईस्ट जोन) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर
(iii) अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आई टी - ई आर पी) / (स्काडा) / (सिविल-ट्रांस) / (विजिलैंस)/ (ट्रांसमिशन- सेन्ट्रल जोन)/ (ट्रांसमिशन- वेस्ट जोन) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर.
(iv) संयुक्त निदेशक (बिल्स एंड टैक्स) / (एकाउंट्स)/ (पी एंड पी एफ) म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर
(v) वरिष्ट लेखा अधिकारी , क्षेत्रीय लेखा कार्यालय - म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर/भोपाल/इन्दौर.
(vi) स्टाफ ऑफिसर कार्यालय प्रबंध निदेशक , म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर

नोट - क्रमांक (ii) एवं (iii) से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को अग्रेषित करने का कष्ट करे ।

Srivastava

संयुक्त निदेशक (बैंक एवं अर्थ प्रबंधन)
कार्यालय -मुख्य वित्तीय अधिकारी
म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि. जबलपुर